अभिवाहक शपथ पत्र समक्षः प्राचार्य, चाणक्य लॉ कॉलेज
रूद्रपुर (उ0सि0नगर)

महोदय,

मैं ....पुत्र .... उम्र.........वर्ष निवासी ....
....का हूँ और शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हुं :–

1– यह कि .... मेरा पाल्य है और वर्तमान में मेरे सरक्षण में रह रहा है तथा आपके विद्यालय मे ....कक्षा ....मे प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा/रही है।

2– यह कि मेरे पाल्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रवेश सम्बन्धी अर्हता विषयक दस्तावेज मेरी जानकारी मे सत्य व सही है।

3– यह कि मेरे पाल्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो मे यदि अर्हता विषयक कोई त्रुटि पायी जाती है या कोई दस्तावेज मिथ्या अथवा दोषपूर्ण पाया जाता है या अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रो मे से सभी या किसी एक की मान्यता नही पायी जाती है और इस कारण विश्वविद्यालय द्वारा मेरे पाल्य के दस्तावेजो मे ऐसी कोई कमी पा कर मेरे पाल्य के प्रवेश को निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति के लिये सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जोखिम मेरा होगा।

4– यह कि ऐसी किसी स्थिति (दस्तावेजो मे अपूर्णता, त्रुटि या मान्यता का न होना) से उत्पन्न पात्रता निरस्त होने पर चाणक्य लॉ कॉलेज मेरे पाल्य के प्रति किसी भी रूप मे किसी भी हानि के लिये उत्तरदायी नही होगा और समस्त उत्तरदायित्व व जोखिम मेरा स्वयम का होगा।

5– यह कि विश्वविद्यालय द्वारा मेरे पाल्य के प्रवेश सम्बन्धी दस्तावेजो की जॉच होने तक मेरे पाल्य का प्रवेश पूर्णतया अस्थायी होगा।

6– यह कि मेरे पाल्य द्वारा वर्ष .... मे .... परीक्षा उतीर्ण की है।

7– यह कि .... परीक्षा के बाद मेरे पाल्य द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान मे प्रवेश नही लिया गया है।

8– यह कि मेरे पाल्य के विरूद्ध आज तक किसी भी न्यायलय मे कोई वाद दर्ज नही है और न ही विचाराधीन है। और मेरा पाल्य कही भी निजी /राजकीय सेवा में कार्यरत नही है।

9– यह कि मेरा पाल्य नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसा न करने पर महाविद्यालय को अधिकार होगा कि उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाये।

10– यह कि मेरा पाल्य चाणक्य लॉ कालेज के विद्यार्थी के रूप मे अपना आचरण तथा व्यवहार ठीक रखेगा/रखेगी तथा किसी समाज या महाविद्यालय विरोधी कार्यवाही मे भाग नही लेगा एवम् विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के नियम , परिनियम , अध्यादेश तथा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा/करेगी। मेरा पाल्य विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहेगा/रहेगी।

11– यह कि मैं पाल्य की विश्वविद्यालय व महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समय पर जमा करूंगा/करूंगी। शुल्क जमा न करने की स्थिति मे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को मेरे पाल्य का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12– यह कि यदि मेरा पाल्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्रवेश नियमो के विरूद्व किसी अन्य पाठ्यक्रम मे इस विश्वविद्यालय व महाविद्यालय या किसा अन्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय मे प्रवेश लेता/लेती हैं तो इस विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में मेरे पाल्य का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

शपथकर्ता उपरोक्त

सत्यापन

मैं शपथ कर्ता उपरोक्त सत्यापित करता हू कि शपथ पत्र के पद संख्या 1 लगायत 12 मेरी निजी जानकारी व विश्वास मे सत्य व सही है कोई तथ्य छुपाया नही गया है। इस सत्यापन पर आज दिनांक .... को स्थान रूदपुर मे हस्ताक्षर किये गये। ईश्वर मेरी मदद करे ।

शपथकर्ता उपरोक्त